न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,कौशाम्बी।

उपस्थितः जे0पी0 यादव, एच.जे.एस.

UPKS010018002026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या :276/2026

भान सिंह पुत्र बंशीलाल निवासी ग्राम बरगदी, थाना सरांय अकिल, जनपद कौशाम्बी।
.....प्रार्थी।

बनाम

उ0प्र0सरकार .....विपक्षी।

अ.सं.–104/2026
धारा–109(1),115(2),352, 351(3),3(5) बी0एन0एस0
थाना–सरांय अकिल
जनपद–कौशाम्बी।

प्रार्थी की ओर से.....श्री बृजेन्द्र सिंह, एडवोकेट।
राज्य की ओर से.....श्री सोमेश्वर कुमार तिवारी, डी.जी.सी. (क्रिमि.)।
वादी की ओर से.....श्री कुलदीप कुमार शुक्ल, एडवोकेट।

12.06.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त भान सिंह जो, मु. अ. सं.–104/2026, धारा–109(1), 115(2), 352, 351(3), 3(5) बी0 एन0 एस0, थाना–सरांय अकिल, जनपद–कौशाम्बी, में जिला कारागार में निरूद्ध हैं, की ओर से प्रस्तुत किया गया है। उक्त जमानत प्रार्थनापत्र पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् रूप से परिशीलन किया। प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र के साथ शपथकर्ता शिव स्वरूप सिंह द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जमानत प्रार्थना पत्र की धारा 1 लगायत 14 उसकी निजी जानकारी में सच व सही हैं।

2. अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा राकेश कुमार सिंह ने थाना सरांय अकिल में इस आशय की सूचना दिया कि दिनांक 28.04.2026 को समय करीब 1 बजे दिन में वह अपने घर पर बैठा था, अपनी बेटी प्रिंयांशी के साथ कि उसके पड़ोसी भान सिंह, अमर, अखण्ड प्रताप सिंह एवं शुभम सिंह रास्ते के विवाद को लेकर गाली गलौज करने लगे तो उसके और उसकी बेटी ने गाली गलौज देने से मना करने लगे तो जान से मारने की नियत से उसके ऊपर हमला कर दिये जिससे उक्त चारों लाठी, डंडो से इतना मारा कि उसका बायां हाथ टूट गया व सर फट गया। उसकी बेटी का हाथ पकड़ कर खीचा जिससे उसकी बेटी जमीन पर गिर गयी, जिससे उसके भी चोटें आयी। जब उसके घर वाले मौके पर आये तो उक्त चारों लोग जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गये।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य के आलोक में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि वह निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वह फर्जी एवं झूंठे तरीके से फसाये गया है। प्रार्थी ने कोई अपराध कारित नहीं किया है बल्कि सही बात यह हे कि प्रार्थी की भूमिधरी जमीन से वादी व वादी के घर वाले रास्ता निकालना चाहते है और आम रास्ता बन्द करना चाहते है जिसकी कई बार नाप जोख

हुई अपनी भूमिधरी जमीन में रास्ता न देने के कारण वादी मुकदमा राय मशविरा करके झूंठी कहानी गढ़कर प्रार्थी व अन्य के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखा दिया है। चोटहिलों की चोट साधारण प्रकृति की है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अतः प्रार्थी/ अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा व उसकी बेटी को गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी से मारपीटकर गंभीर चोटें पहुॅचायी। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी/ अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

5. अभियोजन के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त ने अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा व उसकी लड़की को गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी से मारपीटकर गंभीर चोटें पहुॅचायी हैं। चोटहिल राकेश कुमार की एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार उसके बाये हाथ की अग्रबाहू में फ्रैक्चर पाया जाना तथा सीटी स्कैन रिपोर्ट में mild scalp hematoma is noted over left high fronto-parietal bone with air foci अंकित है। चोटहिल की पूरक आघात् आख्या में उसकी चोटें गंभीर होना कहा गया है लेकिन डा0 ललित कुमार सिंह द्वारा अपने बयान में उक्त चोटों को प्राणघातक होना नहीं बताया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट होना कहा गया है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 29.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं। अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में, मामले के गुण दोष पर कोई विचार प्रकट किये बगैर, यह निष्कर्ष निकल रहा है कि यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में प्रार्थी/अभियुक्त, भान सिंह, की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निम्न शर्तो के अधीन स्वीकार किया जाता हैः–

1. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु0 पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो जमानते, सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए, दाखिल किए जाऐंगे।

2. प्रार्थी/अभियुक्त किसी भी साक्षी को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई धमकी, वचन या प्रवंचन नहीं करेगा और न ही साक्ष्य को विनष्ट करने में किसी प्रकार से लिप्त होगा।

3. प्रार्थी/अभियुक्त यदि वादी मुकदमा या उसके परिवार के किसी सदस्य को डराये–धमकायेगा या उसके साथ पुनः इस प्रकार की घटना कारित करेगा तो वादी मुकदमा, प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता हैं।

(जे0पी0 यादव)
सत्र न्यायाधीश,
कौशाम्बी।
ID No.UP6551
दिनांकः12.06.2026

Digitally signed by JAI PRAKASH YADAV
Date: 2026.06.15 19:34:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court